



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपकर्म)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक-

/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-2/स्था० (2016-17)

दिनांक .08.2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा इस कार्यालय के ज्ञाप सं०-7107/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-2 दिनांक 23.07.2016 के द्वारा श्री संजीव कुमार जैन, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण कार्यालय पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा से पुलिस उपाधीक्षक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा के अधीनस्थ प्रवर्तन दल आगरा हेतु किया गया था एवं कार्यालय पत्रांक-7598/प्र०नि०/का०प्र०/ दिनांक 06.08.2016 के द्वारा दिनांक 06.08.2016 के अपरान्ह कार्यमुक्त कर दिया गया।

अतः कार्यालय ज्ञाप सं०-7107/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-2 दिनांक 23.07.2016 में अंकित श्री संजीव कुमार जैन, अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश स्वेच्छा पर निम्नवत् संशोधित किया जाता है एवं कार्यमुक्ति आदेश -7598/प्र०नि०/का०प्र०/ दिनांक 06.08.2016 को निरस्त किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम, पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय	स्थानान्तरण पर अग्रेत्तर तैनाती हेतु आवंटित इकाई
1	2	3	4
1	श्री संजीव कुमार जैन, अवर अभियन्ता गृहजनपद-कासगंज	कार्यालय पुलिस अधीक्षक /पुलिस उपाधीक्षक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल -द्वितीय, आगरा।

उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल नियमानुसार अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं का०प्र०)

पत्रांक- 7671 -प्र०नि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-2/तददिनांक 09.08.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
5. कैशियर/बिल लिपिक (प्रशासन अनुभाग) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
6. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।


(पंकज केला)

अधिशायी अभियन्ता (प्रशा०-2)